न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(38)

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 973–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 8–3–2016 पारित द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील देपालपुर टप्पा बेटमा, जिला इंदौर प्रकरण कमांक 27/अ–27/2014–15.

....

1–विनोद पिता स्व0रामलालजी जायसवाल

2–जगदीश पिता विनोद जायसवाल

3–ज्ञानदीप पिता विनोद जायसवाल

तीनों निवासी 24/1, श्रीराम इण्डस्ट्रीज

पोलोग्राउण्ड इंदौर

.... आवेदकगण

विरूद्ध

1–राजेन्द्र पिता रामलालजी जायसवाल

निवासी 4 पालीवाल नगर इंदौर

2–ओमप्रकाश पिता रामलालजी जायसवाल

निवासी 2 रघुवंशी कॉलोनी इंदौर

3–अशोक पिता रामलालजी जायसवाल

निवासी जयहिन्द नगर बाणगंगा इंदौर

4–सुनील पिता रामलालजी जायसवाल

निवासी 704 स्कीम नं.51 इंदौर

5–श्रीमती सुशीला पति उमाकांतजी जायसवाल

निवासी मुनीबाबा आश्रम के सामने नरवल, जिला इंदौर

6–श्रीमती आशा पति दीनदयाल जायसवाल

निवासी दीनदयाल उपाध्याय नगर, एल/53 सुखलिया इंदौर

7–श्रीमती शारदा पिता रामलालजी जायसवाल

निवासी गायत्री कालोनी गजेन्द्र एडवोकेट के सामने

खिलचीपुर राजगढ़

8–श्रीमती तारा पति कैलाश जायसवाल

निवासी ग्राम सतवास तहसील कन्नौद जिला देवास

9–श्रीमती पदमा पति ओमप्रकाश जायसवाल

निवासी 201–ए, रिद्धी–सिद्धी अपार्टमेंट,

टेलीफोन नगर इंदौर

10–श्रीमती मुन्नी पिता रामलालजी जायसवाल

निवासी ई–47–ए, कालानी नगर,

चक्की वाली गली, इंदौर

11–श्रीमती विमला मृत तर्फे वारिस

अ–बबलू पिता कमलेश

ब–रानू पिता कमलेश

निवासीगण 272–273–ए, नर्मदानगर

गुरूद्वारे के सामने इंदौर

..... अनावेदकगण

.....

श्री रवि मेहरा , अभिभाषक– आवेदकगण

सुश्री प्रिया वर्मा, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 1 लगायत 7 एवं 9 व 11

श्री रूचिर पाराशर, अभिभाषक– अनावेदक कमांक 8 एवं 10

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/6/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार तहसील देपालपुर टप्पा बेटमा जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–3–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार देपालपुर टप्पा बेटमा जिला इंदौर के समक्ष संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत उभयपक्ष संयुक्त स्वामित्व की भूमि के बटवारे हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया

है। तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 27/अ–27/14–15 दर्ज किया जाकर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदकगण को अनेक अवसर दिये जाने के पश्चात भी उनके द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई एवं व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 व 151 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 8–3–16 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदकगण का साक्ष्य का अवसर समाप्त करते हुये प्रकरण आवेदन पर जबाव हेतु नियत किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) किसी भी पक्षकार की साक्ष्य के प्रतिपरीक्षण या प्रस्तुती का अधिकार समाप्त करने में निश्चित ही उसे न्याय प्राप्ति से वंचित करता है । इस प्रकरण में आवेदकगण को साक्ष्य का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है ।

(2) आवेदकगण द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करना न्यायिक आवश्यकता है । इस तथ्य पर बिना विचार किये नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश वैधानिक होने निरस्त किये जाने योग्य है । उनके द्वारा नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त कर साक्ष्य का अवसर प्रदान करने का निवेदन किया गया ।

4/ अनावेदक क्रमांक 8 एवं 10 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण को अनेक अवसर दिये जाने के पश्चात् भी उनके द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई और प्रकरण को लंबित रखने के उद्देश्य से उनके द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाते रहे हैं ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण का साक्ष्य का अवसर समाप्त करने में वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ शेष अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से केवल यही आधार उठाया गया है कि आवेदकगण द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत

नहीं कर टालमटोल की जा रही हे और उनका मुख्य उद्देश्य पक्षकारों को शीघ्र न्याय दान से वंचित करना है ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार द्वारा आवेदकगण का साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया है जो कि न्यायसंगत कार्यवाही नहीं ठहराई जा सकती है, कारण प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण करते समय पक्षकारों को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का समुचित अवसर दिया जाना न्यायिक आवश्यकता है, अतः नायब तहसीलदार का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार तहसील देपालपुर टप्पा बेटमा जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–3–2016 निरस्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि आवेदकगण को अपने पक्ष की साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुये प्रकरण का निराकरण करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर